न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 107 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

शेरूखा पुत्र गांधीखां वगै. बनाम 1.देहलखा पुत्र अमीनखां वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी एवं धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री रोशनलाल प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री जयदीपसिंह भाटी रेस्पोडेंट संख्या 1.4 से 1.16 की ओर से

निर्णय

दिनांकः–23.08.2024

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी व धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्रों पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी के संबंध में अपीलांटस के पूर्वज गांधीखा वगैरा ने मातहत अदालत के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का राजस्व वाद संख्या 62 / 1972 अनवान गांधीखा वगैरा बनाम सरकार प्रस्तुत किया था जिसमें दोनो पक्षों की सम्पूर्ण सुनवाई पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.1974 को निर्णय व डिक्री पर्चा पारित कर अपीलांटस के परिवारजन को मौजा रेवाडा आसिया के खेत खसरा संख्या 51 की 22.14 बीघा भूमि का खातेदारी घोषित किया था। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त सम्वत 2014 से आज दिन तक लगातार कायम है। उतरदाता संख्या 1 दोहरे खातेदारी घोषणा के आधार पर अपीलांट को उनके कब्जे से महरूम करने को अरसा एक माह से प्रयासरत हुए तब अपीलांट ने इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो अपीलांटस को ज्ञात हुआ कि उतरदाता / वादी देहलखां ने मौजा रेवाडा आसिया के खेत खसरा संख्या 51 में एक ही दस्तावेज के आधार पर पहले 72.16 बीघा भूमि खातेदारी प्राप्त की। फिर उसकी 72.16 बीघा भूमि के दस्तावेज के आधार पर 127.05 बीघा भूमि का फैसला करवा रखा है। जिसके विरूद्ध तहसीलदार पचपदरा ने जिला कलक्टर के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया एवं जिला कलक्टर ने रेफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर भेज दिया था। विधिक बिन्दुओं पर अस्वीकार हो गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस के रहवारीय मकान बने हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त निर्णय से शुब्द्ध होकर तृतीय पक्ष होते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाह रहा है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटस की जानकारी से अन्दर म्याद है साथ ही आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पर्चा उत्तरदाता/वादी द्वारा छल एवं धोखे से प्राप्त की गई है जो प्रारम्भ से शून्य है ऐसा सिद्धांत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिर्निधारित किया गया है। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी एवं धारा 05 परिसीमा अधिनियम के स्वीकार फरमाये जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी व धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्रों पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में वर्णित आराजी का अपीलांट रेकर्डेड खातेदार नहीं था इस कारण आवश्यक पक्षकार नहीं होने से अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक रेस्पोडेंटस के हकपूर्वाधिकारी देहलखां के हक में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डी अपीलांटस को नहीं है। अपीलांटस ने आधारहीन तथ्यों तथा बेसुद तथ्यों की अपील मात्र न्यायालय में लम्बित मामलो की संख्या में बढोतरी करने व रेस्पोडेंटस को तंग परेशान करने की गरज से 54 वर्षो पहले पारित निर्णय डिक्री के संबंध मे बिना लोकस स्टेण्डी के अपील पेश की है जो परिसीमा कालावधि से बांधित होने से चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में बाद विस्तृत विवेचन निर्णय पारित किया गया। अपीलांटगण का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांटस का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी एवं धारा 05 परिसीमा अधिनियम खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी की खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, तथा वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद में अपीलांटगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पक्षकार नहीं है। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं है। अपीलाधीन आराजी उतरदाता को दिनांक 21.07.1972 को खातेदारी दी गई जबकि अपीलांटस के हकपूर्वाधिकारी के पक्ष में दिनांक 16.04.1974 को निर्णय पारित किया गया। इससे साबित होता है कि अपीलांटस के पक्ष में पारित डिक्री बाद में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.1972 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 52 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी की हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरती है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज योग्य है। लिहाजा आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी एवं धारा 05 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाता है। अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाकर फैशल शुमार की जाती है।

23.08.24

(अजीतसिंह रलावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर